

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 27/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 जून, 2018

सा.का.नि. \_\_\_\_ (अ).-केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करती है, उचित अधिकारी द्वारा, जिसका व्ययन उक्त माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अंतराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियंत्रित भंडारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन उसके अधिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा।

अनुसूची

- (1) लवण और आर्द्रताग्राही पदार्थ
- (2) कच्चे (आर्द्र और लवणीय) खाल और चर्म
- (3) समाचार पत्र और पत्रिकाएं
- (4) मेंथॉल, कपूर, केसर
- (5) बाल पॉइंट पेन के लिए रिफिल
- (6) लाइटर, ईंधन जिसके अंतर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं
- (7) सैल, बैटरी और रीचार्जबल बैटरी
- (8) पेट्रोलियम उत्पाद
- (9) खतरनाक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ
- (10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खंड-4 के अधीन आने वाली थोक औषधियां और रसायन
- (11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधीय उत्पाद;
- (12) आतिशबाजी
- (13) लाल चंदन
- (14) चंदन की लकड़ी
- (15) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल;
- (16) ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल जो प्रौद्योगिकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है।
- (17) उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन अनंतिम रूप से निर्मोचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अनंतिम रूप से, निर्मोचन के लिए बंधपत्र के निष्पादन की

तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्मोचन नहीं लया गया था ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी. ) ]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)  
अवर सचिव, भारत सरकार